–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 18/2025

उनवान

हरीराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद, अजमेर
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री शिवजी राम गुर्जर

बनाम

1. गोविन्द पुत्र जगन्नाथ
2. शिवराज पुत्र जगन्नाथ,
3. जगदीश पुत्र सुवा जातिगण जाट निवासी मोडी नसीराबाद,
4. दी मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीनगर नसीराबाद,
5. दी मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीर तह. व जिला अजमेंर,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित,
6 जरियें जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251** ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.50 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 1500, 1499, 1496, 1488 से होते हुये खसरा नम्बर 1420 रास्ते की भूमि पर से होकर खसरा नम्बर 1485 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.50 प्रार्थी की खातेदारी व खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1500, 1499, 1496, 1488 [illegible] की खातेदारी है। खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.40 गै.मु. रास्ता सिवाय [illegible] में है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नही है। उक्त मार्ग विगत कई वर्षो से काश्तकारों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा मार्ग दिये जाने की अनुशंषा भी की गयी है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग राजस्व

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अभिलेख व मौके पर नही है। उक्त मार्ग पूर्व में ही रास्ते के रूप में काश्तकारों द्वारा उपयोग में लिया जाना बताया गया है। खसरा नमबर 1488, 1496 व 1500 के खातेदार जगदीश पुत्र सुवा, अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा रास्ता दिये जाने की सहमती दी है, जो कि तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न मौका पर्चा दिनांक 22.7.25 में अंकित है। प्रार्थी द्वारा 20 फिट चौडा रास्ता ही चाहा गया है। उक्त मार्ग वर्तमान में आवागमन के लिये ही कार्य में लिया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में मार्ग अंकित होना अन्य काश्तकारों के लिये भी लाभदायक होगा। प्रकरण में कोई खण्डन नही है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु मार्ग हेतु सम्पूर्ण भूमि नही ली जानी है। आंशिक भूमि के लिये अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का रहन अप्रभावी रहेगा। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 1500 में से 36.54 वर्ग मीटर, 1499 में से 121.80 वर्ग मीटर, 1496 में से 121.80 वर्ग मीटर व 1488 में से 146.16 वर्ग मीटर भूमि (6.09 मीटर चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले हाल खसरा नम्बर 1500, 1496 व 1488 के खातेदार को 36054/अक्षरे छत्तीस हजार चौवन रूपये व खसरा नम्बर 1499 के खातेदार को 14422/अक्षरे चौदह हजार चार सौ बाईस रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested